न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर।

फौजदारी वाद संख्या–59/2024

सचिन बंसल बनाम प्रकाश डाबर

संबंधित फौजदारी वाद संख्या–1824/2022

प्रकाश डाबर बनाम सचि बंसल

धारा–138 एन0आई0 एक्ट

थाना–काशीपुर

दिनांक–06.11.2024

आज पत्रावली कार्यालय द्वारा माननीय निगरानी न्यायालय/माननीय सत्र न्यायाधीश, उधमसिंह नगर द्वारा फौजदारी निगरानी संख्या–121/2024 सचिन बंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक–26.10.2024 के अनुपालन में पेश की गयी।

2. माननीय निगरानी न्यायालय के आदेश का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया। माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह आदेश पारित किया गया किः–

"प्रस्तुत निगरानी ओर से निगरानीकर्ता/अभियुक्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। मुख्य न्यायिक मजिस्टेंट, ऊधम सिंह नगर द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–59 वर्ष 2024, सचिन बंसल बनाम प्रकाश डाबर में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23–04–2024 अपास्त किया जाता है। निगरानी से सम्बन्धित प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र वास्ते स्थानांतरण वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। फौजदारी वाद संख्या–1824 वर्श 2022, प्रकाश डाबर बनाम सचिन बंसल, धारा–138, एन0आई0 एक्ट, थाना काशीपुर को प्रथम अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के न्यायालय से रिकाल कर विधि के अनुसार निस्तारण हेतु सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्टेंट, बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर के न्यायालय को स्थानांतरित किया जाता है।"

3. माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में पत्रावली फौजदारी वाद संख्या–1824 वर्ष 2022, प्रकाश डाबर बनाम सचिन बंसल, धारा–138, एन0आई0 एक्ट, थाना काशीपुर न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्टेंट, काशीपुर के न्यायालय से रिकाल कर विधि के अनुसार निस्तारण हेतु विद्वान न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्टेंट, बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर के स्थानांतरित की जाती है।

Seen with Regard
28.11.24

06/11/2024
(अनीता गुंज्याल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उधम सिंह नगर।